यह खाना, सेहत, शिक्षा और परवरिश का किस्सा है,
इन पर देश के हर बच्चे का हिस्सा है,

आज हमारे देश में :-

- 46% बच्चे कम वजन के होते हैं और 38% का शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है
- केवल 44% बच्चों का ही पूर्ण टीकाकरण होता है
- जीवन के प्रथम छह महीनों में आधे से भी कम बच्चे ''केवल माँ का दूध'' पीते हैं
- लगभग 80% छोटे बच्चों और 60% गर्भवती माताओं में खून की कमी होती है

दूसरी तरफः

- छह वर्ष से कम उम्र के 30% से भी कम बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंगनवाड़ी केन्द्र से कोई सेवा मिल पाई है
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसम्बर 2008 अंतिम तिथि निर्धारित करने के बावजूद ICDS का सार्वभौमीकरण अभी तक नहीं हुआ है
- बच्चों के विकास का बजट (ICDS तथा शिशुसदन (Creche)योजना सहित) संघीय बजट के 1% से भी कम है, जब कि छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या हमारी जनसंख्या की 16% है

यह तब हो रहा है जब हमारी अर्थ व्यवस्था तेजी से विकास कर रही है.....
यहां तक कि इस मामले में हमारे कुछ पड़ोसी देश जिनकी स्थिति हमसे भी खराब है, हमसे कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न उपाय अत्यावश्यक है।

1. ICDS का ''गुणवत्ता सहित सार्वभौमिकरण''
2. शिशु सदन और दिन के समय बच्चों के देखभाल की सुविधाएं।
3 मातृत्व अधिकार
4 ''शिशुओं और छोटे बच्चों का भरण पोषण'' के लिए (IYCF) प्रोत्साहन (विशेषकर स्तनपान)
5 ''पैक किया हुआ'', ''तैयार भोजन'', ''सरकारी-निजी सहभागिता'' की आड़ में व्यावसायिक निजी स्वार्थों द्वारा शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण के लिए चल रहे सरकारी कार्यक्रमों में दखलअंदाजी न होने देना,

इसी समय, जब हम एक 'आर्थिक शक्ति' बनने जा रहे हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों के अधिकारों के साथ वाणिज्यिक स्वार्थी तत्वों की दखलंदाजी के कारण कोई समझौता न हो, एक बृहत जन शक्ति के जुटाव की आवश्यकता है।

हमारी मांगें

1. **सार्वभौमीकरण :** हर बस्ती में, छह वर्ष से कम हर बच्चे के लिए हर गर्भवती और दूध पिलाने वाली माँ के लिए और हर किशोरी के लिए एक आंगनबाड़ी केन्द्र, केन्द्र में सभी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित हमें, (यथेष्ट जगह, संडास, सुरक्षित पानी, रसोई की जगह, खेल का स्थान इत्यादि)।
2. हर आंगनबाड़ी केन्द्र में कम से कम **दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता** और एक सहायक हो ताकि घर पर और केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाएं कारगर ढंग से दी जा सकें।
3. 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र पर **स्कूल पूर्व शिक्षा।**
4. **पका हुआ गर्म खाना** जोकि अच्छी गुणवत्ता, मात्रा तथा विविधता का हो जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बने।
5. **स्थानीय प्रचलित भोजन** के आधार पर 3 वर्ष से छोटे बच्चों के भोजन में पौष्टिक अनुपूरक।
6. शिशुओं को जीवन के प्रथम छह महीनों में **सिर्फ मां का दूध** पिलाने के बारे में महिलाओं को कुशल सलाह तथा समर्थन।
7. सभी काम करने वाली महिलाओं के लिए **''आंगनबाड़ी तथा शिशु सदनों''** और NREGA कार्य स्थलों पर शिशु सदन (CRECHE)।
8. स्तनपान कराने वाली माताओं के **मातृत्त्व अधिकार**।
9. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए **उन्नत प्रशिक्षण** और उनकी क्षमता वृद्धि।
10. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों का नियमन तथा उनकी **कार्यकर्ताओं की तरह पहचान तथा अधिकार** और उनके वेतन-भत्ते का उचित भुगतान
11. स्वास्थ्य और WCD विभागों के बीच सभी स्तरों पर **संसृति (Convergence)**, पोषण स्वास्थ्य लाभ (बहाली सहित)
12. एक व्यापक **अनुश्रवण और मूल्यांकन** व्यवस्था और एक उच्च स्तरीय चौकसी व्यवस्था जो की कूटनीतिक निगरानी और तकनिकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ संश्रुती और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
13. **विकेन्द्रीकरण** और पंचायती राज संस्थानों का जुड़ाव।
14. सरकारी और निजी क्षेत्र के मध्य भागीदारी के मार्ग दर्शन और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी एक **नीतिगत विवरण**।

छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कार्यरत समूह

(जन स्वास्थ्य अभियान तथा रोटी-रोजी अधिकार अभियान)